

(TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Deptt. of Industrial Policy & Promotion

Udyog Bhawan, New Delhi-110011
Dated 27 February, 2012

NOTIFICATION

S.O.E. 11012/3/2011-Hindi: In pursuance of sub rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following office, under the control of the Department of Industrial Policy & Promotion, whose more than 80% staff have acquired working knowledge in Hindi:

Office of the Chief Controller of Explosives, Petroleum & Explosives Safety Organization, 'A' Block, 5th Floor, Central Govt. Offices Complex, Seminary Hills, Nagpur.



(Suniti Sharma)
Joint Director(O.L.)

To,

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi-110064.

No. E-11012/3/2011-Hindi

Dated 27 February, 2012

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Ministries/Depts. of Government of India.
2. All Sections of the Deptt. of Industrial Policy & Promotion.
3. All attached/subordinate offices in the Deptt. of Industrial Policy & Promotion.
4. Chief Controller of Explosives, Petroleum & Explosives Safety Organization, Nagpur with reference to their letter No. E 1002/2010-Inspection-Ministry dated 11.01.2012 for information and necessary action.
5. Deptt. of Official Language, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.



(Suniti Sharma)
Joint Director(O.L.)

विस्फोटक विभाग, नागपुर, उमरपुर १२

उद्योग मन्त्रालय
औद्योगिक विकास विभाग

...

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 1989

अधिसूचना

का.आ.सं.ई. 12012/1/87-हिन्दी : केन्द्रीय सरकार,
राजभाषा सूच के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 के
नियम 10 के उप नियम 4 के अनुसरण में निम्नलिखित कार्यालयों को,
जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर
लिया है, अधिसूचित करती है :-

१क१ विस्फोटक विभाग, नागपुर

1. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, उत्तरी अंचल, आगरा । ✓
2. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, पूर्वी अंचल, कलकत्ता । ✓
3. उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, पश्चिमी अंचल, बम्बई । ✓
4. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, भोपाल ।
5. उप विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, भंडारा ।
6. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
7. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, जयपुर ।
8. उप विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, गोमिया ।
9. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, हैदराबाद ।
10. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, हजारीबाग ।
11. विस्फोटक नियंत्रक का कार्यालय, राउरकेला ।


१ख१ खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई ।

12. क्षेत्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वाराणसी ।
13. राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, चण्डीगढ़ ।
14. क्षेत्रीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, हल्द्वानी ।

65. प्रोटोटाइप तथा प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला, नई दिल्ली ।

कोट

67. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर ।
68. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर ।
69. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल ।
70. शाखा कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजकोट ।
71. निर्माण कार्य प्रभाग, नैनी ।
72. प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण उप केन्द्र, अलीगढ़ ।
73. प्रोटोटाइप विकास तथा प्रशिक्षण उप केन्द्र, झांशीपुर ।


श्री रवीन्द्र कुमार सिन्हा
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार पुस्तकालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सभी सम्बन्धित कार्यालय ।
3. राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली ।

Handwritten initials 'JKT' in the top left corner.

भारत के शासक के आदेश के अन्तर्गत जारी किया गया है।

Official stamp with handwritten number '16' and date '28'.

भारत सरकार
कौशल और उद्योग मंत्रालय
शैक्षणिक विभाग और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17-अप्रैल, 2000

आदेश सूचना

जहाँ जहाँ आदेश संख्या ई- 12012/1997- हिन्दी : केंद्रीय सरकार, कलकत्ता (सच के शासकिय प्रयोजनों के लिए प्रमाण) दिनांक 1976 के विधन (10) के उप विधन (4) के अनुसार नई कौशल और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीन डिस्कॉटक विभाग, नागपुर के निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृद्ध ने हिन्दी का कार्यसाध्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :

- (1) संयुक्त मुख्य डिस्कॉटक विभाग का कार्यालय, कलकत्ता
- (2) का मुख्य डिस्कॉटक विभाग का कार्यालय, कोलकाता
- (3) उप मुख्य डिस्कॉटक विभाग का कार्यालय, मुंबई
- (4) उप मुख्य डिस्कॉटक विभाग का कार्यालय, पटना
- (5) का मुख्य डिस्कॉटक विभाग का कार्यालय, अहमदाबाद
- (6) डिस्कॉटक विभाग का कार्यालय, रायपुर
- (7) डिस्कॉटक विभाग का कार्यालय, गुवाहाटी

Handwritten signature of the official.

(एस जगदीशान)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रमाण,
भारत सरकार मुद्रणालय
फिरोज रोड, नयापुरी
नई दिल्ली।

निम्नलिखित सूचनाएं

- 1. डिस्कॉटक विभाग, नागपुर
- 2. कलकत्ता विभाग, गृह विभाग, कलकत्ता के अंतर्गत, नई दिल्ली
- 3. सचिव, केंद्रीय शैक्षणिक आयोग, 11, टिपू रोड, नई दिल्ली
- 4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभाग

